

क्रमांक एफ ()उवसं/तकनिकी/2022-23/ 3438

दिनांक:- 17/06/22

निमित्त,

SBE Renewables Ten
Private Limited,
C-105 Anand Niketan,
New Delhi

विषय:- Construction of 220 KV S/C, D/C & M/C Line From SBE Renewables Ten Private Limited PSS To Fatehgarh-II PSS."Proposal No. FP/RJ/TRANS/145974/2021 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव बाबत।।

प्रसंग:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र संख्या- 8 बी/राज 026/2022-JPR दिनांक 06.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि 220 KV S/C, D/C & M/C Line From SBE Renewables Ten Private Limited PSS To Fatehgarh-II PSS के निर्माण हेतु 0.175 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जैसलमेर वन मण्डल की रक्षित वनभूमि की 0.175 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 15 वृक्षों के पातन की, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करावे:-

बिन्दु सं.	विवरण	पौधों की संख्या/क्षेत्रफल (हैक्टर)	दर	राशि रूपयों में
1	वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत पारिभ्राषित वनभूमि पर 15 वृक्षों के पातन अनुसार 150 वृक्ष लगाने हेतु क्षतिपूर्ति राशि जमा करावे	150 पौधे	मजदूरी दर 252/-	163776
	वन मण्डल जैसलमेर में अन्तर्गत आने वाले रक्षित वन भूमि में सम्मिलित रक्षित वनक्षेत्र 0.175 हैक्टर प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) के रूप में राशि जमा करावे।	0.175 हैक्टर	670140	117274.5
	छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना हेतु राशि जमा करावे।	1.00	640237.10	640237.10
कुल				921287.6 Say 921288

2. अगर राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कोई राशि की मांग अथवा वर्तमान मूल्य की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त अन्तर राशि अदा करने संबंधी अण्डरटेकिंग पत्र प्रस्तुत करे।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र संख्या- 8 बी/राज 026/2022-JPR दिनांक 06.06.2022 वर्णित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु, इस कार्यालय में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु 1 में वर्णित राशि सीधे ही Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rajasthan, S.B. A/c No - 037100101025225 - Corporation bank, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi 110003 (RTGS/ IFSC No - CORP0000371) में जमा करावें।

उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना कर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि विधिवत स्वीकृति वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जा सके।

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीय



जी.के. वर्मा

(आई.एफ.एस.)

उप वन संरक्षक

जैसलमेर

दिनांक:-

क्रमांक एफ ()उवसं/तकनिकी/2022-23/

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, जैसलमेर।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबला को लेख है कि प्रकरण में जब तक अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं होती है तब तक इस कार्यालय की अनुमति के बिना प्रयोक्त अभिकरण को पेड काटने एवं अन्य कोई कार्य आवेदित क्षेत्र में नहीं करने देवे।

उप वन संरक्षक
जैसलमेर